बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(जैव विविधता अधिनियम–2002 अंतर्गत सांविधिक निकाय)

Bihar State Biodiversity Board

(Statutory Body under Biological Diversity Act. 2002

स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम) में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के लिए महत्वपूर्ण सूचना।

(दिनांक– 04.10.2025 को प्रकाशित प्रथम सूचना के क्रम में द्वितीय प्रकाशन)

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) के अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों में ''स्थानीय जैव विविधता निधि – Local Biodiversity Fund'' का प्रावधान है।

इस प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य में गठित समस्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों के नाम से बिहार ग्रामीण बैंक में खाता खोलने एवं संधारित करने का निर्णय लिया गया है। इन्हीं खातों के माध्यम से इन जैव विविधता प्रबंधन समितियों को समय–समय पर विनिर्दिष्ट क्रिया–कलापों हेतु समर्थन राशि अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

इन बैंक खातों का संचालन उक्त समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

अतः जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों से अनुरोध है कि इस प्रयोजनार्थ बिहार ग्रमीण बैंक के निकटस्थ शाखा से सम्पर्क कर अथवा उनके पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किये जाने पर खाता खुलवाने की कार्रवाई कृपया की जाय।

विस्तृत जानकारी संलग्न क्यूआर कोड को स्कैन कर उपलब्ध होगी।

सचिव
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्।

PR No.- 018005 (B&C)D. 2025-26

जै व वि वि ध ता : बेहतर संतुलन, स्वस्थ पारितंत्र, संरक्षित पर्यावरण, समृद्ध जीवन।